

विभाग का नाम : खाद्य, सम्भरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप विभाग आपूर्ति
विभाग का पता : कै-ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली.

अतारांकित प्रश्न संख्या- 134

दिनांक : 30 जुलाई, 2021

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार अन्तोदय अन्न योजना के तहत अति गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त 25 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल मुहैया कराती है;	जी नहीं । अन्तोदय अन्न योजना के अति गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, 2013 के अनुसार 25 किलोग्राम गेहूँ और 10 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रतिमाह वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पी.एम.जी.के.वाई योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य प्रतिमाह 04 किलोग्राम गेहूँ तथा 01 किलोग्राम चावल वितरित किया जा रहा है।
ख)	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार, भारत सरकार के आदेश की अवहेलना कर अति गरीब परिवारों के राशन कार्ड नहीं बना रही है;	जी नहीं ।
ग)	यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं;	उपरोक्त अनुसार लागू नहीं ।
घ)	दिल्ली में 'वन नेशन-वन कार्ड' योजना लागू न करने के क्या कारण हैं; और	दिल्ली में 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना आदेश संख्या F.No.3(8)/F&S/P&C/2020/P-V/561-572 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा लागू हो गई है (प्रतिलिपि संलग्न है) ।
ड)	जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में अति गरीब परिवारों की संख्या 1,56,800 की तुलना में मात्र 68,732 परिवारों तक ही यह राशन पहुँचने व बाकी बचे 90 हजार परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा चिन्हित न करने के क्या कारण हैं?	अन्तोदय अन्न योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों का चयन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार किया जा रहा है । दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लाभार्थियों की सीमा निश्चित की गई है जो कि पहले ही पूरी हो चुकी है। कार्ड निरस्त होने व नाम कटने से रिक्तियां (Vacancy) होने पर "प्रथम आगम प्रथम निर्गम" (FIFO) के अनुसार नए कार्ड बनाए जा सकेंगे ।

Secretary-Cum-Commissioner
Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate
New Delhi- 110002